राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 24.12.2019

संशोधित आदेश

दिनांक 29.07.2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान सदन में निम्नांकित घोषणा की गईः—

"विधान सभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास व उनके नियमित मेंटीनेंस के बारे में विभिन्न समस्याएं रहती हैं। मितव्ययता की दृष्टि से यह सुझाव भी दिया जाता है कि माननीय विधायकों को बहुमंजिला अपार्टमेंट बना कर फ्लैट आवंटित किए जाएं। इसी प्रकार माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर भी रिव्यू की मांग उठती जा रही है। उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर विचार कर एक स्थाई फार्मूला सजेस्ट करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, जो अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर, एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे कि उक्त सभी सुविधायें व्यवस्थागत तरीके से एक निश्चित अंतराल पर उपलब्ध हो सके। यह समिति पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के बारे में भी सुझाव दे सकेगी।"

उक्त घोषणा के अनुसरण में मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.08.2019 द्वारा श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, संसदीय मामलात विभाग के संयोजन में मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसमें श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, ऊर्जा विभाग, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं डॉ. महेश जोशी, मुख्य सचेतक को सदस्य मनोनीत किया गया।

उपरोक्त गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त समिति का एतद्द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः—

1	श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	संयोजक
2	श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, राज. विधानसभा	सदस्य
3	श्री लालचन्द कटारिया, मंत्री, कृषि विभाग	सदस्य
4	श्री हरीश चौधरी, मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
5	श्री अंजना उदयलाल, मंत्री, सहकारिता विभाग	सदस्य

माननीय विधायकों को बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाकर फ्लैट आवंटित करने के संबंध में उक्त समिति माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा से समन्वय कर उनके निर्देशन में कार्य करेगी एवं उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, संसदीय कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा।
5. विशिष्ठ सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
6. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव